न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या– 18/2014

1. निरंजनसिंह उम्र करीब 78 वर्ष पुत्र स्व0 श्री कैप्टन हरीसिह राजौरिया (मृतक दौराने वाद)
   1/1. धमेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजनसिंह
   1/2. लोकेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजनसिंह
   1/3. राखी पुत्री स्व0 श्री निरंजनसिंह
   समस्त जातिगण जाट निवासीगण किलेदार साहब का बाडा कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 श्री मंगलसिह
3. नीलिमा सिंह पुत्री स्व0 श्री मंगलसिंह
4. हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री मंगलसिंह
   समस्त जातिगण जाट निवासीगण किलेदार साहब का बाडा कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम्

राजस्थान राज्य

1. तामील जरिये जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर
2. तामील जरिये तहसीलदार महोदय वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अधिकार एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – 1. श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट––वादी की ओर से
2. श्री गोपाल नारायण एडवोकेट –प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः–22.04.2022

वादी ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 289 रकवा 1 बीघा, 290 रकवा 3 विस्वा बाकै ग्राम झोर तहसील व जिला धौलपुर है। वादीगण के पूर्वज स्व0 कैप्टिन श्री हरीसिंह राजौरिया पुत्र स्व0 श्री किलेदार नाहरसिह जी राजौरिया जाति जाट विवादित खसरा नम्बर पर बन्दोवस्त के समय सम्वत् 2028 में काबिज काश्त थे, और इसी हैसियत से तत्कालीन सैटलमेन्ट विभाग ने उनके नाम पर्चा जारी किया था। और उनका नाम राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकित किया था। वादीगण के पूर्वज स्व0 कैप्टिन श्री हरीसिह जी राजौरिया उक्त विवादित खसरा नम्बर पर बन्दोवस्त से ही गैर खातेदार काश्तकार दर्ज होकर अपने जीवन पर्यन्त उक्त आराजीयात पर वहैसियत गैर खातेदार काश्तकार काबिज होकर लगान अदा करते चले आये व फसल लाभ प्राप्त करते चले आये। कालान्तर में स्व0 कैप्टिन श्री हरीसिह राजौरिया का

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

निधन हो गया। उनके निधनोपरांत उनका समस्त तर्का उनके दोनो पुत्रगण मंगलसिह व वादी निरंजनसिंह ने प्राप्त किया। कालान्तर मे मंगलसिह का भी निधन हो गया और उनके निधनोपरांत उनका समस्त तर्को उनके वारिसान वादीगण सख्या 2 लगायत 4 ने प्राप्त किया इस प्रकार वादीगण भी विरासतन विवादित आराजीयात पर बहैसियत गैर खातेदार काश्तकार अंकित होकर नियमित रूप से काबिज होकर बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे है, व लगान अदा कर फसल प्राप्त कर रहें है। एवं वर्तमान में काबिज काश्त है। इस प्रकार वादीगण को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक व लिखित रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए व राजस्व अभिलेखों मे हो रहे गैर खातेदार के अकन को दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार अंकित कराने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह निर्देश दिया कि ऐसे प्रकरणों मे खातेदार अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम राजस्व न्यायालय में वादी प्रस्तुत करके ही खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। वादीगण ने जरिये अधिवक्ता 80 सीपीसी का विधित नोटिस प्रतिवादीगण को प्रेषित किया। प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में हो रहे गैर खातेदारी के अकन को कलमजद कर खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार तहसीदार धौलपुर उपस्थित आये और जबाबदावा पेश किया कि विवादित आराजी पर वादीगण का वर्तमान में और ना ही पूर्व में कब्जा रहा है, बिला कब्जे के वादीगण खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार को दुरूस्त करवाने के लिए कभी भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया। वादीगण ने अपने अभिभाषक द्वारा कोई भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस दावा विधिवत रूप से चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी पैराफेरी क्षेत्र में आती है, इस कारण उक्त प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के अधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर को है, भूमि दर का 20 प्रतिशत राशि जमा किये जाने पर की खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में बिना कब्जा वादीगण गैर खातेदारी से खातेदारी करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने का प्रार्थना किया है।

उभयपक्ष के लिखित अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया कि वादीगण के पूर्वज स्व0 कैप्टिन हरीसिंह राजौरिया को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 3 बिस्वा बाकै ग्राम झोर तहसील व जिला धौलपुर का सेटलमेन्ट ने गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया था। इसका वाद पर क्या प्रभाव है?

.....वादीगण

2. आया कि वादीगण विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 289, व 290 बाकै ग्राम झोर तहसील व जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है?

.....वादीगण

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

आया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर पैराफेरी क्षेत्र में आते है, इस कारण न्यायालय प्रकरण खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को है। इसका वाद पर क्या प्रभाव है?
.....प्रतिवादी

आया कि विवादित आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वर्तमान मे है बिना कब्जा के वादीगण गैरखातेदारी से खातेदारी करवाने के अधिकार नहीं है। इसका वाद पर क्या प्रभाव है?
.....प्रतिवादीगण

आया कि वादीगण द्वारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया। इसका वाद पर क्या प्रभाव है?
.....प्रतिवादीगण

अनुतोष

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 बाकै ग्राम झौर प्रदर्श–1, सैटलमेन्ट पर्चा लगान प्रदर्श–2, सैटलमेन्ट पर्चा वास्ते तस्दीक प्रदर्श–3, नकल नामांतकरण संख्या 412 बाकै ग्राम झोर प्रदर्श–4, नकल नामांतकरण संख्या 224 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत्2053–56 बाकै ग्राम झोर प्रदर्श–6, मिसिल बन्दोवस्त बाकै ग्राम झोर प्रदर्श–7, खसरा गिरदावरी बाकै ग्राम झोर सम्वत् 2061–64, 2057–58 प्रदर्श–8, खसरा गिरदावरी सम्वत्2053–54 प्रदर्श–9, खसरा गिरदावरी सम्वत्2049–51 प्रदर्श–10, खसरा गिरदावरी सम्वत्2045–48 प्रदर्श–11, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041–44 प्रदर्श–12, खसरा गिरदावरी सम्वत्2037–39 प्रदर्श–13, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033–36 बाकै ग्राम झोर प्रदर्श–14, नोटिस धारा 80 सीपीसी तारीख 11.2.2013 प्रदर्श–15, डाक प्रति प्रदर्श–16 व 17, ए0डी0 प्रदर्श– 18, 19, खसरा गिरदावरी सम्वत 2049–52 प्रदर्श–20, खसरा गिरदावरी सम्वत्2053–54 प्रदर्श–21, खसरा गिरदावरी 2057– 60 प्रदर्श–22, खसरा गिरदावरी सम्वत्2061–64 प्रदर्श–23, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2065–68 प्रदर्श–24, खसरा गिरदावरी सम्वत्2069–72 प्रदर्श–25, खसरा गिरदावरी सम्वत्2073–76 प्रदर्श–26, खसरा गिरदावरी सम्वत्2077 प्रदर्श–27 पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 लोकेन्द्र सिंह , के बयान कराये। प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदावा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, एवं मौखिक साक्ष्य में पटवारी हल्का पटवार मण्डल कस्बा धौलपुर नम्बर 3 के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकार सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपने तर्को में वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्व काश्त करते थे तथा मौके पर कब्जे के आधार पर बन्दोवस्त विभाग के द्वारा उन्हे विवादित आराजी पर गैरखातेदारी का पर्चा जारी किया गया और राजस्व रेकार्ड में उन्हे गैरखातेदार अंकित किया गया। वादीगण के पूर्व पुरूष कै रहे कैप्टन हरीसिंह अपने जीवन काल तक काबिज रहे उनके निधन के बाद विवादित आराजी पर विरासतन मंगलसिंह एवं निरजनसिंह को गैरखातेदार अंकित किया गया मंगलसिंह व निरजंनसिंह का भी देहान्त हो चुका है सभी वादीगण उनके वारिसान है और विवादित आराजी पर काबिज रह का काश्त कर रहे है। प्रकरण में प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरी से वादीगण का कब्जा काश्त सिद्ध

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

होता है। बन्दोबस्त की कार्यवाही सम्वत् 2028 मे सम्पन्न हुई वादीगण के पूर्व पुरूष आदिनांक तक विवादित आराजी पर गैरखातेदार ही दर्ज है जबकि उन्हे कानूनन खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए । वादीगण की ओर से दावा दायरी से पूर्व विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज करने के संबंध में धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस भी प्रतिवादीगणो को दिया गया किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई । उन्होने दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार अंकित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नही है उन्हे गैरखातेदार बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया है जो गलत है विवादित आराजी नगर परिषद के पैराफैरी क्षेत्र में है इस कारण न्यायालय विवादित आराजी पर वादीगण को खातेदार दर्ज करने का आदेश नही दे सकती क्योकि पैराफैरी क्षेत्र में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार नियमानुसार डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही प्रदान किये जा सकते है और इसका अनुमोदन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा किया जाता है उन्होने दावा वादीगण खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। अतः तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:-

तनकी नम्बर-1:-
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा अपने तर्को के समर्थन मे पर्चा बन्दोवस्त ग्राम झोर प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बन्दोवस्त विभाग द्वारा वादीगण के पूर्व पुरूष कैप्टन हरीसिंह को विवादित आराजी का गैरखातेदारी का पर्चा जारी किया गया तथा पर्चा लगान भी जारी किया जाकर उन्हे जमाबन्दी में गैरखातेदार अंकित किया गया। बन्दोवस्त की कार्यवाही सम्वत 2028 मे सम्पन्न हुई है, और वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2028 प्रदर्श 7 में कै0 हरीसिंह को गैरखातेदार अंकित होना पाया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2053-56 प्रदर्श-6 जमाबन्दी सम्वत 2061-64 मे हरीसिंह के वारिसान मंगलसिंह व निरजंनसिंह की गैरखातेदारी में अंकित है। जमाबन्दी वर्ष 2006 एवं जमाबन्दी सम्वत 2069-72 प्रदर्श-1 में विवादित भूमि के 1/2 भाग पर मंगलसिंह के वारिसान एवं 1/2 भाग पर निरजंन सिंह का नाम गैरखातेदारी में अंकित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2061-64 प्रदर्श-8, नकल खसरा सम्वत 2052-55 प्रदर्श-9, 2049-51 प्रदर्श-10, 2045-48 प्रदर्श-11, 2041-44 प्रदर्श-12, 2037-39 प्रदर्श-13, 2033-36 प्रदर्श-14 में भी विवादित आराजी पर काश्त का अंकन है जिससे यह सिद्ध होता है, कि विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्व पुरूष तथा उनके देहान्त के बाद वादीगण गैरखातेदार के रूप में काश्त कर रहे है। विवादित आराजी सम्वत 2028 से गैरखातेदारी मे है, और वर्तमान में सम्वत 2079 चल रहा है। लगभग 50 वर्ष से वादीगण विवादित आराजी पर गैरखातेदार दर्ज है। प्रकरण मे ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है, जिससे विवादित आराजी पर गैरखातेदारी को निरस्त कराने की कार्यवाही की गई हो या विनाराधीन हो इस प्रकार वादीगण कानूनन विवादित आराजी पर गैरखातेदारी के स्थान पर खातेदारी के रूप मे दर्ज कराने के अधिकारी होते है। अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्डाधिकारी

तनकी नम्बर–2:–
तनकी नम्बर–1 के विवेचन के अनुसार वादीगण विवादित आराजी पर कानूनन गैरखातेदारी से खातेदार के रूप में दर्ज कराने के अधिकारी होते है अतः वादीगण तनकी नम्बर 1 के विवेचन के अनुसार विवादित आराजी पर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–3:–
इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क था कि विवादित आराजी पैराफैरी क्षेत्र में होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार पैराफैरी परिक्षेत्र में आवंटित भूमि या ऐसी भी जो पैराफैरी क्षेत्र में आने से पूर्व आवंटित हो गई है उन पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के द्वारा डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के अनुमोदन के उपरान्त गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी सम्वत् 2028 से वादीगण की गैरखातेदारी मे है, और यह विवादित आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है, अतः राज्य सरकार की अधिसूचना की पालना में वादीगण को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने से पूर्व श्रीमान जिला कलटर महोदय से अनुमोदन कराया जाना उचित समझते है अतः यह तनकी इसी प्रकार निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–4:–
इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के अभिभाषक का तर्क था कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है उनकी ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाह श्री आशीष जगरिया पटवारी हल्का कस्बा नम्बर 3 धौलपुर डी0डवलू–1 ने अपने वयान में जिरह में कहा गया है, कि यह सही है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 289 व 290 ग्राम झोर पर वादीगण काबिज है यह सही है, कि वादीगण विवादित आराजी पर काबिज होकर फसल लाभा प्राप्त कर रहे हैं यह सही है कि विवादित आराजी पर वादीगण काबिज है। साथ ही वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल खसरा गिरदावरी में अंकित काश्त भी विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होना सिद्व करता हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण बिरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–5:–
इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था उनका तर्क है कि प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण द्वारा वाद दायरी से पूर्व उनको किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया जबकि आवश्यक था। प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रति नोटिस एवं रसीद पोस्ट आफिस एवं रजिस्टर्ड एडी से यह सिद्व है कि वादीगण की ओर से वाद दायरी से पूर्व प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस प्रचारित किया गया है अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर उन्हे विवादित आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 01 बीघा एवं 290 रकबा 03 बिस्वा वाके ग्राम और तहसील धौलपुर पर वादीगण 1/1 [illegible] 1/3 के 1/2 भाग एवं वादीगण 2 [illegible] 4 [illegible] 1/2 भाग [illegible] [illegible] खातेदार [illegible] किये [illegible] हेतु आराजी [illegible] धौलपुर के [illegible] कारण राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के अनुमोदन हेतु प्रकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय [illegible] दिनांक 22.04.2022 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय [illegible]

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)